HAMIRPUR POLICE

थाना राठ **दिनांक 02.03.2023**

गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की ₹28,51,400 /- (अठाईस लाख इक्यावन हजार चार सौ रूपया) की संपत्ति कुर्क

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल/अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना राठ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ लल्ला पुत्र श्री मइयादीन निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर की रिपोर्ट थाना मुस्करा द्वारा प्रेषित धारा-14(1) गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त अभियुक्त की सम्पत्ति 0.053 हे0 जमीन अनुमानित कीमत 10,400 एवं ग्राम कुर्रा थाना राठ में स्थित एक पक्का मकान अनुमानित कीमत 28,41,400 रुपये दोनों सम्पत्ति की कुल कीमत ₹28,51,400 (अठाईस लाख इक्यावन हजार चार सौ रूपया) कुर्क की गई।

उपरोक्त अभियुक्त अनिल कुमार अध्याय 16, 17 में 22 वर्णित अपराध कारित करने का पेशेवर अपराधी है, इसके द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त रहकर घटनाएं कारित की गई है, अभियुक्त अपराधिक घटनाए कारित कर गांव व आसपास के क्षेत्र में दहशत व आतंक फैलाकर, अपराध कारित कर धन अर्जित करते हुए जमीन ली गयी व मकान का निर्माण करवाया गया है, अभियुक्त द्वारा आर्थिक/भौतिक लाभ हेतु विगत कई वर्षों से अपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर उक्त जघन्य / संपत्ति संबंधित अपराध कारित करता है, जिसके अंतर्गत उक्त अपराधी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।